रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 337] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 28, 1977/कार्तिक 6, 1899

No. 337] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 1977/KARTIKA 6, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION
(Department of Textiles)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October 1977

G.S.R 657(E) —Government of India have decided to constitute a Sub-Group of the Main Working Group on Textiles for the handloom and powerloom industries for formulating the draft of the Sixth Five Year Plan—1978-79—1982-83, under the Chairmanship of Shri Mani Narayanswami, Development Commissioner for Handlooms. The following shall be the members of the Sub Group on Handloom and Powerloom Industries :—

Chairman

(1) Development Commissioner for Handlooms, New Delhi

Members

(2) Representative of Textile Commissioner, Bombay

(3) Representative of Khadi & Village Industries Commission,

(4) Representative of Handicrafts & Handlooms Export Corporation of India Limited, New Delhi

(5) Representative of All India Handicrafts Board, New Delhi

(6) Representative of Reserve Bank of India

(7) Representative of All India Handloom Fabrics Marketing Cooperative Society, Bombay

(8) Representative of the M/Commerce (Concerned with wool)

(9) Representative of the Central Silk Board, Bombay

(10) Representative of Handloom Garment Maunfactures/Exporters

(11) Representative of Ministry of Home Affairs, New Delhi

(12) Representative of I&M, V&SI, and PP Division of the Planning Commission

Convenor/Member-Secretary

(13) Secretary, All-India Handloom Board

2 The terms of reference of Sub-Group are.—

(i) To compare the estimates of demand, production and capacity by the end of 1977 78 for handloom and powerloom sectors with what on proportional basis was anticipated in the draft Fifth Plan, to analyse the causes of major deviations and to suggest remedial action in the appropriate areas

(ii) To estimate the requirements of handloom and powerloom cloth for home consumption and exports in relation to total requirements of cloth for the population in the country by 1982 83 and the likely demand for 1987-88

(iii) To suggest the policy framework for increasing production corresponding to the estimated demand in the handloom and powerloom sectors, keeping in view the special economic objectives in promoting these sectors *vis-a-vis* the organised textile industry

(iv) to suggest the financial outlays required and the fiscal releases if any required, for promoting the interest of these industries in the context of decentralisation of economic benefits in the country

(v) To determine the requirements of cotton, yarn, dyes and chemicals and various other inputs for achieving the production targets in the handloom and powerloom sectors by the end of the Sixth Plan

(vi) To suggest a framework of policy within which increased production of blended fabrics using man-made fibre yarn could be undertaken in the handloom and powerloom sectors and the relevance of employment generation in following this strategy

(vii) To indicate the relationship between handloom and powerloom sectors so as to protect the interests of weaker sections of community engaged in these sectors

(viii) To assess the additional employment likely to be generated during the ensuing five years' period

(ix) To make such other recommendations as may be appropriate

3 The Working Group may coopt/associate/consult the representatives of State Governments/State Corporations and other concerned officials and non officials

4 The Working Group is requested to submit its interim report by the end of November, 1977 and final report by 15th January, 1978

[No DCH/WGHP/77]

R RAMAKRISHNA Jt Secy

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1977

सा० का० नि० 657 (अ) —सरकार ने श्री मणि नारायणस्वामी, हथकरघा विकास आयुक्त की अध्यक्षता मे छठी पचवर्षीय योजना 1978–79—1982–83 का मसौदा तैयार

करने हेतु हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा उद्योगों के लिए मुख्य कार्यकारी समूह का एक उप-समूह गठित करने का विनिश्चय किया है। हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा उद्योगों के उप-समूह के सदस्य निम्नलिखित है :—

अध्यक्ष

(1) हथकरघा विकास आयुक्त, नई दिल्ली।

सदस्य

(2) वस्त्र आयुक्त का प्रतिनिधि, बम्बई।

(3) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का प्रतिनिधि।

(4) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम का प्रतिनिधि, नई दिल्ली।

(5) हस्तशिल्प बोर्ड का प्रतिनिधि, नई दिल्ली।

(6) भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि।

(7) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति का प्रतिनिधि, बम्बई।

(8) वाणिज्य मन्त्रालय (उन से सम्बन्धित) का प्रतिनिधि।

(9) केन्द्रीय रेशम बोर्ड का प्रतिनिधि।

(10) हथकरघा परिधान विनिर्माता निर्यातको का प्रतिनिधि।

(11) गृह मन्त्रालय के प्रतिनिधि।

(12) योजना आयोग के आई एण्ड एम०, वी० एण्ड एस आई तथा पी० पी० प्रभागो के प्रतिनिधि।

संयोजक, सदस्य-सचिव

(13) सचिव, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड।

2. उप-समूह के विचारार्थ विषय इस प्रकार है :—

(1) हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा क्षेत्र के लिए 1977-78 के अन्त तक मांग, उत्पादन और क्षमता के प्राक्कलनो की तुलना उनसे करना जो पांचवी योजना के प्रारूप में आनुपातिक आधार पर प्रत्याशित थे, मुख्य परिवर्तनों के कारणों का विश्लेषण करना और उचित क्षेत्रो मे उपचारात्मक कार्यवाही के बारे मे सुझाव देना।

(2) 1982-83 तक देश मे जनता के लिए कपडे की कुल माग और 1987-88 के लिए संभावित माग को देखते हुए घरेलू खपत और निर्यातो के लिए हथकरघा और शक्तिचालित करघा कपडे की मांग का अनुमान लगाना।

(3) संगठित वस्त्र उद्योग के मुकाबले में हथकरघा और शक्तिचालित करघा क्षेत्रो को बढावा देने के विशेष आर्थिक उद्देश्यो को ध्यान मे रखते हुए इन क्षेत्रो की अनुमति माग के अनुरूप उत्पादन बढाने के लिए नीति सम्बन्धी ढाचे के बारे में सुझाव देना।

(4) देश मे आर्थिक लाभो के विकेन्द्रीकरण के सदर्भ मे इन उद्योगो के हितो को बढ़ावा देने के लिए परिव्यय मे अपेक्षित हो और राजकोष यदि कोई राशि देनी अपेक्षित हो तो उनके बारे मे सुझाव देना ।

(5) छठी योजना के अन्त तक हथकरघा और शक्तिचालित करघा क्षेत्रों मे उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रुई, धागे, रजकों और रसायनो एव विभिन्न अन्य अन्तर्निविष्ट साधनों की आवश्यकताओ का निर्धारण करना ।

(6) नीति सम्बन्धी एक ऐसे ढांचे के बारे में सुझाव देना जिसके अन्तर्गत हथकरघा व शक्तिचालित करघा क्षेत्रों मे मानव निर्मित रेशे के धागे का इस्तेमाल करने वाले मिश्रित वस्त्रो का अधिक उत्पादन आरम्भ किया जा सके और इस नीति को अपनाने में रोजगार के अवसर बनने की प्रासगिकता क्या है ।

(7) हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा क्षेत्रो के बीच सम्बन्ध बताना ताकि इन क्षेत्रो मे लगे समुदाय के कमजोर वर्गों के हितो की रक्षा की जा सके ।

(8) अगले 5 वर्षों की अवधि के दौरान रोजगार के अतिरिक्त अवसरो के बनने की सभावना का अनुमान लगाना ।

(9) ऐसी अन्य सिफारिशें करना जो उचित हों ।

3 कार्यकारी समूह राज्य सरकारों, राज्य निगमो के प्रतिनिधियो तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियो एवं गैर सरकारी व्यक्तियों को सहयोजित, सहबद्ध कर सकता है तथा उनसे परामर्श कर सकता है ।

4 कार्यकारी समूह से अनुरोध है कि वह अपनी अन्तरिम रिपोर्ट नवम्बर, 1977 तक व अन्तिम रिपोर्ट 15 जनवरी, 1977 तक प्रस्तुत कर दें ।

[स० डी० सी० एच०/डब्ल्यू० जी० एच० पी०/77]

आर० रामकृष्ण, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1977